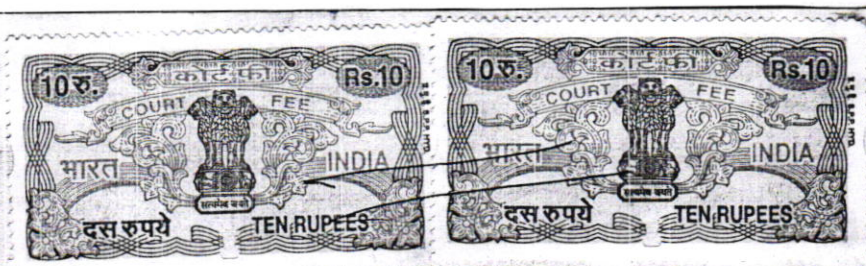

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(187)

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य- प्रदेश) ।

प्रकरण क्रमांक - /२०१७-१८/पुनर्विलोकन याचिका

PBR/पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा/2018/1103

१- कमल सिंह कुशवाह पुत्र स्व० श्री गोविन्दा

२- मु० गयादेवी पत्नी स्व० श्री हीरा (फोत हो जाने पर उनके वारिसानगण

क- कोकसिंह)
ख- अमर सिंह) पुत्रगण स्व० श्री
ग- करन सिंह) हीरा कुशवाह
घ- भवानी प्रसाद)

ड- मु० कस्तूरी वेवा मनीराम (बहू)

च- मु० मुन्नी वेवा कुन्दन (बहू)

३- दुर्गा प्रसाद की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान :-

क- दीपक कुशवाह (पुत्र) पुत्र स्व० श्री दुर्गाप्रसाद

४- खेमा पुत्र स्व० श्री लालाराम

५- बल्ला पुत्र स्व० श्री लालाराम

६- मुखिया पुत्र स्व० श्री लालाराम

समस्त जाति - कुशवाह निवासीगण - ग्राम - अजयपुर तहसील व जिला ग्वालियर (म०प्र०) ।

-- आवेदकगण

श्री रणवीर सिंह ए०
द्वारा आज दि० 08-02-2018
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 16-2-18 नियत।
8-2-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

विजय सिंह पुत्र स्व० श्री महेन्द्रसिंह डागरा के मृत्यु उपरान्त उनके वारिसानगण :-

१- मु० अलका डागरा वेवा स्व० श्री विजय सिंह डागरा

२- कु० कृतिका डागरा पुत्री स्व० श्री विजय सिंह डागरा

३- हितेश डागरा पुत्र स्व० श्री विजयसिंह डागरा

समस्त निवासीगण - मकान क्रमांक ६६ मेजर करतार सिंह कालोनी लक्कड़खाना लश्कर ग्वालि

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा./2018/1103 [कृष्णसिंह] [विजयसिंह]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-3-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों विचार किया गया । आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1146/पीबीआर/2010 में पारित आदेश दिनांक 12-6-2014 के विरूद्ध दिनांक 8-2-2018 को लगभग साढ़े तीन वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है । अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में दर्शाये गये आधार समानकारक नहीं हैं । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति– अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं नहीं बढ़ा सकता है ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	द्वद्ध